



# Streamlining Faecal Sludge and Septage Management in Uttar Pradesh

Compilation of key guidelines and advisories issued by the  
Department of Urban Development, GoUP



# **Streamlining Faecal Sludge and Septage Management in Uttar Pradesh**

## **Key guidelines and advisories issued by the Department of Urban Development, UP**

### **Background**

Urban sanitation in India is undergoing a strategic transition from conventional sewerage systems to more sustainable, decentralized approaches such as Faecal Sludge and Septage Management (FSSM). In alignment with national missions such as AMRUT, Swachh Bharat Mission-Urban (SBM-U) and National Policy on FSSM, the Government of Uttar Pradesh (GoUP) has made significant strides to ensure safe collection, transportation, treatment and reuse of faecal sludge.

The Department of Urban Development (DoUD), GoUP, has partnered with the Centre for Science and Environment (CSE) to scale up and institutionalize FSSM across the state. The partnership resulted in formulating policies, guidelines, advisories and technical documents, as well as building the capacities of various stakeholders. The collaboration has helped in smoother handover of the treatment plants from Uttar Pradesh Jal Nigam (UPJN) to urban local bodies, operationalized treatment systems, strengthened institutional capacities, and developed and implemented regulatory frameworks.


As part of this collaboration, 56 cities in Uttar Pradesh have established Faecal Sludge Treatment Plants (FSTPs) and/or co-treatment facilities at existing sewage treatment plants (STPs). These facilities ensure that faecal sludge from non-sewered areas is treated safely, reducing environmental pollution and public health risks.

To operationalize the plants and ensure long-term sustainability, the state has issued multiple guidelines and provided a step-by-step approach to support ULBs through this process. The guidelines include:

- Establishing city-level institutional frameworks
  - Model city-level FSSM bye-laws
  - Registration of operator and finalizing desludging fees
- Operation and maintainance (O&M) of the plants
  - Establishing O&M mechanism—Model contract document
  - Assessment of operational cost of plants
  - SOP for O&M of plants
  - Record keeping protocols
- Enhancing capacity utilization
  - Guidelines for scheduled institutional desludging
- Community awareness programme

This compilation brings together all key letters, advisories and guidelines issued by the Department of Urban Development (DoUD) on faecal sludge and septage management in Uttar Pradesh.

## Location of FSSM plants in Uttar Pradesh



SOURCE: CSE 2024

This compilation would help the other cities of the state to access all the relevant communications at one go to further improve the status of FSSM in their respective cities.

**Table 1: Details of all letters**

| S. no | Letter  | Letter no. and date                                    | Importance of the letter  |
|-------|---|--|---|
| 1     | City-level FSSM bye-laws  | 423/01/Nagariya<br>Prashikshan/2023<br>7 November 2023 | This letter outlines the legal framework needed for implementing FSSM services, including roles, responsibilities and service regulations for safe and sustainable sanitation services. These bye-laws are essential for enabling city-level enforcement and accountability mechanisms.                         |
| 2     | Model contract for O&M of FSTPs/<br>Co-treatment Plants and Desludging Vehicles | 422/01/Nagariya<br>Prashiksha/2023<br>7 November 2023  | Provides a template for ULBs to develop contracts for the operation and maintenance of FSTPs and co-treatment plants. It supports consistency across cities and ensures that service delivery is accountable and aligned with performance standards. It also includes clauses for desludging vehicle operation. |
| 3     | Costing of O&M of FSTPs and co-treatment plants and desludging fee              | SMMU/438/1073/2023<br>24 November 2023                 | Offers guidance on the range of operational costs of treatment facilities and set desludging fees accordingly. This ensures financial sustainability and efficient service delivery. It helps ULBs to adopt data-driven pricing mechanisms for cost recovery and service optimization.                          |
| 4     | O&M of FSTPs by Women Self-Help Groups (SHGs) in UP                             | SMMU/900/1107/2024<br>30 April 2024                    | Encourages ULBs to engage women SHGs for the O&M of FSTPs. This promotes inclusive livelihood opportunities and gender empowerment while ensuring community ownership of sanitation services. The initiative builds local capacity and sustains plant operations through community models.                      |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 5 | Record-keeping protocols at FSTPs and co-treatment plants                        | SMMU/1025/1073/2024<br>17 May 2024            | Describes the formats and standard procedures for record maintenance at treatment plants. This letter is crucial for improving transparency, operational monitoring and compliance, with reporting obligations. Accurate records help in performance assessment and future planning.  |
| 6 | Step-wise guidelines to the ULBs for FSSM implementation                         | SMMU/1415/1073/2024<br>21 June 2024           | Outlines a sequential implementation roadmap for ULBs, from planning to post-implementation evaluation. It helps local governments streamline activities and ensure timely establishment of FSSM infrastructure.  |
| 7 | IEC implementation at city level   | SMMU/1638/1135/2024<br>14 August 2024         | Provides guidance on designing and implementing city-wide awareness campaigns related to FSSM. The letter promotes community engagement, behavioral change, and stakeholder participation to enhance acceptance and usage of desludging services and treatment infrastructure.  |
| 8 | Improving treatment plant utilization through scheduled institutional desludging | SMMU/1905/1073/2024<br>13 September 2024      | Encourages cities to adopt scheduled desludging, particularly for institutional and bulk generators, to improve plant utilization. It supports proactive sludge collection and helps avoid overflows or plant underuse, enhancing efficiency and public health outcomes. It helps to prepare schedule desludging plan for the city. |
| 9 | Standard Operating Procedures for O&M of FSTPs and co-treatment plants           | 1551/Nideshalaya Camp/2025<br>30 January 2025 | Offers detailed SOPs for operating and maintaining FSTPs and co-treatment units. It helps standardize operations, improve efficiency, and ensure environmental compliance. SOPs are vital for capacity building of plant operators and ensuring continuity of services even with staff turnover.                                    |

# Letters

## 1. City-level FSSM bye-laws

### FSTP/Co-Treatment Plants का संचालन

प्रेषक,

निदेशक,  
नगर निकाय, उ० प्र०,  
गोमती नगर विस्तार सेक्टर - ७  
लखनऊ ।

सेवा में,

1. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ० प्र० ।
2. समस्त महाप्रबन्धक जलकल, नगर निगम, उ० प्र० ।

३ समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ० प्र० ।

पत्रांक: ४२३/०१/ नगरीय प्रशिक्षण/२०२३

दिनांक: ०५ नवम्बर, २०२३

विषय: उत्तर प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में फीकल स्लज एवं सेटेज प्रबंधन उपविधियों (FSSM Bye-Laws) के कार्यान्वयन के संबंध में।


महोदय,

उत्तर प्रदेश में शहरों के सतत विकास एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्रभावी फीकल स्लज एवं सेटेज प्रबंधन (FSSM) को सुनिश्चित करने के लिए सभी नगरीय निकायों की भूमिका महत्वपूर्ण है। शहरी स्तर पर FSSM सेवाओं के लिए एक मजबूत regulatory framework आवश्यक है, जिसमें स्पष्ट रूप से निकाय, नागरिकों और अन्य stakeholders की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व (roles & responsibilities) परिभाषित हों। अतएव, यह अनिवार्य है कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए मजबूत उपविधियों को निकाय स्तर पर तैयार कर कार्यान्वित किया जाए।

नेशनल फीकल स्लज एंड सेटेज मैनेजमेंट पॉलिसी 2017, उत्तर प्रदेश सेटेज मैनेजमेंट पॉलिसी 2019 और स्वच्छ भारत मिशन (अर्बन) 2.0 के दिशानिर्देशों के संदर्भ में नगर विकास विभाग ने Centre for Science and Environment (CSE) के सहयोग से 'फीकल स्लज एवं सेटेज प्रबंधन के लिए राज्य उपविधियों' (State Model FSSM Bye-Laws) को विकसित किया है।

अतः उक्त के संबंध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि 'फीकल स्लज एवं सेटेज प्रबंधन के लिए राज्य मॉडल उपविधि' को अपने स्थानीय आवश्यकता के अनुसार संशोधित कर, अधिसूचित (notify) करते हुए अग्रतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।


**संलग्नक:** फीकल स्लज एवं सेटेज प्रबंधन के लिए राज्य मॉडल उपविधि (State Model Bye-Laws Faecal Sludge and Septage management)

भवदीय,  
  
(डॉ नितिन बंसल)  
निदेशक।

## संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग -5, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. राज्य मिशन निदेशक (अमृत), लखनऊ।
3. प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
4. सीनियर प्रोग्राम मैनेजर, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (CSE), लखनऊ।

  
(डॉ नितिन बंसल)  
निदेशक।

<https://www.cseindia.org/state-model-bye-laws-for-faecal-sludge-and-septage-management-fssm--11956>



## 2. Model contract for O&M of FSTPs/co-treatment plants and desludging vehicles

### FSTP/Co-Treatment Plants का संचालन

प्रेषक,

निदेशक,  
नगर निकाय, उ० प्र०,  
गोमती नगर विस्तार सेक्टर - ७  
लखनऊ ।

सेवा में,

- 1- नगर आयुक्त,  
नगर निगम- प्रयागराज, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी,  
सहारनपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मधुरा-वृन्दावन, फिरोजाबाद, मेरठ, झाँसी,  
शाहजहापुर एवं अयोध्या उ० प्र०।
- 2- अधिशासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत- शिकोहाबाद, हाथरस, मैनपुरी, फतेहपुर, फरुखाबाद,  
इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, हरदोई, लखीमपुर, उन्नाव, सीतापुर, देवरिया, जौनपुर, बदायूँ  
पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, शामली, मोदीनगर, लोनी, बड़ौत, खुर्जा, बुलन्दशहर, हापुड़,  
चन्दौसी, रामपुर, अमरोहा, उरई, बांदा, ललितपुर, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़, बहराइच,  
अकबरपुर, गोण्डा, मिर्जापुर, बस्ती, बकरी का तालाब, चुनार, बिजनौर उ० प्र०।

पत्रांक: ४२२/०१/नगरीय प्रशिक्षण/२०२३

दिनांक: ०८ नवम्बर, 2023

विषय:-उत्तर प्रदेश की निकायों में FSTP/Co-Treatment Plants के संचालन-रखरखाव (O&M) के लिए Model Contract के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संदर्भ में अवगत कराना है की अमृत योजना के अंतर्गत आपकी निकाय में FSTPs/Co-treatment plants निर्मित किए गए हैं, जिन्हे संचालन हेतु जल निगम द्वारा संबंधित नगरीय निकायों को हस्तांतरित (handover) किया जाना है। इसी क्रम में अगला मुख्य कार्य इन plants का सुदृढ़ संचालन और रखरखाव (O&M) एवं plants की sustainability को बनाए रखना है। निकाय, यदि plants का संचालन और रखरखाव का दायित्व किसी निजी फर्म को देना चाहता है, तो उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नगर विकास विभाग ने CSE के सहयोग से मॉडल अनुबंध (Model Contract) तैयार किया है।

अतः मॉडल अनुबंध (Model Contract) संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि निकाय अपनी आवश्यकता के आधार पर मॉडल अनुबंध (Model Contract) को संशोधित कर, plants का संचालन और रखरखाव किया जाना सुनिश्चित करें।

**संलग्नक:** State Model Contract for Operation and Maintenance (O&M) of Faecal Sludge Treatment Plant (FSTP)/Co-treatment plant and desludging vehicles


भवदीय,

१०/११/२३  
(डा नितिन बंसल)  
निदेशक।

## संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग -5, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. राज्य भिशन निदेशक (अमृत), लखनऊ।
3. प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
4. सीनियर प्रोग्राम मैनेजर, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (CSE), लखनऊ।

  
(डॉ. नितिन बंसल)  
निदेशक।

<https://www.cseindia.org/model-contract-for-operation-and-maintenance-o-m--11958>



### 3. Costing of O&M of FSTPs and co-treatment plants and desludging fee

प्रेषक,

राज्य निवासन निवेशक (अमृत)  
नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र व रसानीय निकाय निवेशालय  
चौथा तल, गोमती नगर विरस्तार रोडटर 7  
लखनऊ

सेवा में,

नगर आयुक्त, नगर निगम:-  
इलाहाबाद, अलीगढ़, आगरा,  
कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर,  
वाराणसी, सहारनपुर, गाजियाबाद,  
मुरादाबाद, मथुरा-वृन्दावन, बरेली,  
फिरोजाबाद, मेरठ, झाँसी,  
शाहजहांपुर एवं अयोध्या उ0प्र0।

अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषदः-शिकोहाबाद, हाथरस,  
मैनपुरी, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, हरदोई,  
लखीमपुर, उन्नाव, सीतापुर, देवरिया, जौनपुर, वदायूँ, पीलीगीत,  
मुजफ्फरनगर, शामली, मोदीनगर, लोनी, वडौत, खुर्जा, बुलन्दशहर,  
हापुड़, चन्दोसी, रामपुर, सम्भल, अमरोहा, उरई, वांदा, लखितपुर,  
मजनाथ भंजन, आजमगढ़, बहराइच, अकबरपुर, गोण्डा, मिर्जापुर, वस्ती  
उ0प्र0।

पत्रांक: एसएमएमयू/ ५३८ / १०७३ / २०२३

दिनांक: २५ नवम्बर, 2023

विषय- अमृत के अंतर्गत फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) संयंत्रों के संचालन और रखरखाव (O&M) की लागत एवं सेप्टिक टैंक सफाई शुल्क (Desludging fees) निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि आपकी निकाय में अमृत योजना के अंतर्गत उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) के द्वारा FSTP/Co-treatment plant का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसका संचालन परियोजना के हस्तान्तरण के पश्चात नगरीय निकायों के द्वारा ही किया जाना है।

FSTP/Co-treatment plant के संचालन एवं रख-रखाव हेतु निवेशक, नगरीय निकाय निवेशालय के पत्र संख्या-423/01/न० प्रशिक्षण/2023, दिनांक 07 नवम्बर, 2023 के द्वारा FSSM Bye-Laws (Draft) एवं पत्र संख्या-422/01/न० प्रशिक्षण/2023, दिनांक 07 नवम्बर, 2023 के द्वारा O&M के लिये Model Contract (Draft) प्रेषित किया जा चुका है।

नगरीय निकायों को अमृत योजना के अंतर्गत फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) संयंत्रों के संचालन और रखरखाव (O&M) की लागत एवं शहर में सेप्टिक टैंक सफाई शुल्क (Desludging fees) के बारे में मार्गदर्शन हेतु विवरण निम्नवत् है:-

#### 1. FSSM संयंत्रों का संचालन और रखरखाव (O&M) :-

- I. FSSM संयंत्रों के संचालन और रखरखाव (O&M) में आने वाला व्यय (प्रतिलिपि संलग्न) निकाय को केंद्रीय वित्त आयोग (CFC)/ राज्य वित्त आयोग (SFC) अथवा निकाय निधि में उपलब्ध राशि से वहन करना होंगा।
- II. 32 KLD FSTP के संचालन एवं रखरखाव (O&M) की शुद्ध अनुमानित लागत ₹ 1.4 लाख से ₹ 1.9 लाख प्रतिमाह के बीच में आती है। Technology के हिसाब से संचालन और रखरखाव (O&M) की लागत निम्नलिखित है, जिसका विवरण पृथक से संलग्न है:-

| क्र.सं. | FSTP टेक्नोलॉजी                   | प्रतिमाह लागत(लाख) | वार्षिक लागत (लाख) |
|---------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1.      | ड्राइंग बेड्स बेस्ड नेचुरल सिस्टम | ₹ 1.40             | ₹ 16.8             |
| 2.      | टाइगर बायो-फिल्टर बेस्ड सिस्टम    | ₹ 1.86             | ₹ 22.3             |
| 3.      | हाइब्रिड सिस्टम                   | ₹ 1.54             | ₹ 18.5             |

- III. भिन्न क्षमताओं पर आधारित Co-treatment plants के संचालन और रखरखाव (O&M) की शुद्ध अनुमानित लागत ₹ 0.94 लाख से ₹ 1.73 लाख प्रतिमाह के बीच में आती है। भिन्न-भिन्न क्षमता (Capacity) वाले Co-treatment plants के संचालन और रखरखाव (O&M) की अनुमानित लागत निम्नवत् दी गयी है-

| क्र.सं. | Co-treatment क्षमता (KLD) | प्रतिमाह लागत (लाख) | वार्षिक लागत (लाख) |
|---------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 1.      | 25                        | ₹ 0.94              | ₹ 11.3             |
| 2.      | 50                        | ₹ 1.08              | ₹ 13.0             |
| 3.      | 75                        | ₹ 1.32              | ₹ 15.8             |
| 4.      | 100                       | ₹ 1.73              | ₹ 20.8             |

IV. भविष्य में होने वाले सभी अनुबंधों (Contracts) में संयंत्र का संचालन और रखरखाव (O&M) की लागत एवं शहर में सेप्टिक टैंक सफाई शुल्क (Desludging fees) घटक अलग होने चाहिए। नए अनुबंधों की अवधि 02 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

V. संयंत्र का संचालन और रखरखाव (O&M) एवं शहर में सेप्टिक टैंक सफाई सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अथवा दो अलग-अलग ठेकेदार को देने का निर्णय निकाय को अपने रत्त पर लेना होगा।

## 2. शहर में सेप्टिक टैंक सफाई शुल्क (Desludging fees)

I. दूरी और चक्कर की संख्या (Number of Trips) के आधार पर शहर में सेप्टिक टैंक सफाई हेतु वैक्यूम टैंकर की प्रति चक्कर (आना-जाना) अनुमानित लागत एवं शुल्क (Based on certain assumptions) (प्रतिलिपि संलग्न) निम्नवत् है :-

| क्र.सं. | प्रति चक्कर पूर्ण दूरी (कि.मी) | डिस्लजिंग लागत (₹)             |       |      |     | डिस्लजिंग शुल्क (₹) |                                |       |       |   |   |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|-------|------|-----|---------------------|--------------------------------|-------|-------|---|---|
|         |                                | एक टैंकर द्वारा प्रतिदिन चक्कर | 1     | 2    | 3   | 4                   | एक टैंकर द्वारा प्रतिदिन चक्कर | 1     | 2     | 3 | 4 |
| 1.      | 10 से कम                       | 1,350                          | 750   | 550  | 450 | 2,200               | 1,200                          | 800   | 700   |   |   |
| 2.      | 10-15                          | 1,450                          | 850   | 750  | 550 | 2,300               | 1,300                          | 1000  | 800   |   |   |
| 3.      | 15-20                          | 1,600                          | 1000  | 800  | 700 | 2,400               | 1,400                          | 1,100 | 900   |   |   |
| 4.      | 20 से अधिक                     | 1,700                          | 1,200 | 1000 | 850 | 2,600               | 1,600                          | 1,200 | 1,100 |   |   |

नोट :- फ़ील्ड ऑफरवेशन के आधार पर एक टैंकर द्वारा लगाई जाने वाले चक्कर की अधिकतम संख्या 04 ली गयी है।

II. अगर निकाय पूरे शहर में सेप्टिक टैंक क्लीनिंग सेवाएं न्यौ प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर प्रदान करने की जिम्मेदारी लेना चाहता है तो ऊपर दी गयी लागत का सन्दर्भ लेते हुए प्रति चक्कर शुल्क निर्धारित कर सकता है।


III. अगर निकाय शहर के प्राइवेट ऑपरेटर्स के सहयोग से सेवाएं प्रदान करना चाहता है या प्रति चक्कर कुछ प्रॉफिट की अपेक्षा रखता है तो ऊपर दिया गया शुल्क का सन्दर्भ लेकर निर्धारित कर सकता है।

IV. निकाय को प्राइवेट ऑपरेटर्स से परामर्श कर के शुल्क निर्धारित करना चाहिए और उसके बाद ही शुल्क को उपयोगिता (FSSM Byelaws) का हिस्सा बनाए।

V. City Specific लागत और शुल्क जानने हेतु, निकाय CSE द्वारा बनाए गए डिस्लजिंग कैलकुलेटर<sup>1</sup> का प्रयोग कर सकता है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

  
(पी० के० श्रीवास्तव)  
अपर मिशन निदेशक (अमृत)

<sup>1</sup>[https://drive.google.com/file/d/1pR9Z3xMGnQB2R-PN3me6c8nkYuzvLUCU/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1pR9Z3xMGnQB2R-PN3me6c8nkYuzvLUCU/view?usp=drive_link)

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख सचिव नगर विकास अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
2. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
3. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ ।
4. सीनियर प्रोग्राम मैनेजर, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (CSE), लखनऊ ।

24/11/2023

पी0 को0 श्रीवास्तव)  
अपर मिशन निदेशक (अमृत)

<https://www.cseindia.org/guidance-note-on-operation-maintenance-of-faecal-sludge-septage-management-fssm-projects-and-economics-of-desludging-in-up-12002>



## 4. O&M of FSTPs by Women Self-Help Groups (SHGs) in UP

प्रेषक,

राज्य मिशन निदेशक (अमृत एवं अमृत 2.0)

राज्य मिशन निदेशालय, उ0प्र0,

नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र व स्थानीय निकाय निदेशालय,

गोमती नगर विस्तार, सेक्टर-7, लखनऊ।

सेवा में,

1. निदेशक, सूडा / मिशन निदेशक, NULM, उ0प्र0।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उ0प्र0।
3. समस्त महाप्रबन्धक जलकल, नगर निगम उ0प्र0।
4. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, झाँसी उ0प्र0।
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद— सीतापुर, रायबरेली, जौनपुर एवं खुर्जा उ0प्र0।

पत्रांक: एसएमएमयू/९०० / १०२ / २०२४

दिनांक: ३० अप्रैल, 2024

विषय: "AMRUT Mitra" के अन्तर्गत अमृत 2.0 एवं DAY-NULM के संयुक्त तत्वावधान में Water Quality Testing एवं FSTP के संचालन एवं रख-रखाव (O&M) में Women Self Help Group (SHGs) की भागीदारी हेतु निर्गत Standard Operating Procedure (SOP) का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अपर सचिव, अमृत 2.0 एवं संयुक्त सचिव, DAY-NULM के अर्द्ध-शासकीय पत्र सं0-16011/1/2024-AMRUT अमृत दिनांक 07.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। AMRUT 2.0 एवं DAY-NULM के संयुक्त तत्वावधान में Water Quality Testing एवं FSTP के संचालन एवं रख-रखाव (O&M) सहित पेयजल से सम्बन्धित अनेक गतिविधियों (Activities) में "AMRUT Mitra" के अन्तर्गत Women SHGs को सम्मिलित किया जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किया जा चुका है।

भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के क्रम में प्रदेश में प्रथम चरण में AMRUT 2.0 एवं DAY-NULM के संयुक्त तत्वावधान में Water Quality Testing एवं FSTP के संचालन का कार्य कराये जाने का निर्णय लेते हुए निम्नानुसार परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं :-

1. प्रदेश के समस्त 17 नगर निगमों में चयनित वार्डों में SHGs Women के द्वारा Water Quality Testing कराया जाना।
2. नगर पालिका परिषद—सीतापुर, रायबरेली, जौनपुर एवं खुर्जा में अमृत 2.0 योजनान्तर्गत निर्मित FSTP का संचालन एवं रख-रखाव (O&M) SHGs Women के द्वारा कराया जाना।

17 नगर निगमों के जलकल विभाग/जल संस्थानों के द्वारा SHGs Women से कराये जाने वाले Water Quality Testing के Projects भेजे गये हैं/AMRUT 2.0 Collaboration Platform, GoI पर Upload किये गये हैं, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा निम्नवत् प्रदान की जा चुकी है :-

| क्र. सं. | नगर निगम का नाम    | Water Quality Testing हेतु Projects की संख्या | Water Quality Testing हेतु कुल Wards की संख्या | Projects में SHG Women की कुल संख्या + सुपरवाइजर की संख्या | कुल परियोजना लागत (₹ लाख में) |
|----------|--------------------|---|--|--|-------------------------------|
| 1        | नगर निगम कानपुर    | 5   | 50   | 50+5 Supervisor  | 47.46                         |
| 2        | नगर निगम आगरा      | 5   | 25   | 50+5 Supervisor  | 49.85                         |
| 3        | नगर निगम वाराणसी   | 5   | 50   | 50+5 Supervisor  | 49.9                          |
| 4        | नगर निगम प्रयागराज | 5   | 45   | 50+5 Supervisor  | 47.33                         |
| 5        | नगर निगम लखनऊ      | 6   | 29   | 60+6 Supervisor  | 59.88                         |
| 6        | नगर निगम गाजियाबाद | 5   | 25   | 50+5 Supervisor  | 46.30                         |
| 7        | नगर निगम मेरठ      | 5   | 50   | 50+5 Supervisor  | 46.40                         |

क्रमशः...

AMRUT - Letter-2024

|            |                         |    |     |                    |          |
|------------|-------------------------|----|-----|--------------------|----------|
| 8          | नगर निगम अलीगढ़         | 5  | 25  | 50+5 Supervisor    | 49.85    |
| 9          | नगर निगम बरेली          | 5  | 51  | 50+5 Supervisor    | 49.85    |
| 10         | नगर निगम गोरखपुर        | 5  | 50  | 50+5 Supervisor    | 48.73    |
| 11         | नगर निगम फिरोजाबाद      | 5  | 40  | 40+4 Supervisor    | 39.9     |
| 12         | नगर निगम सहारनपुर       | 5  | 40  | 48+5 Supervisor    | 42.37    |
| 13         | नगर निगम झाँसी          | 5  | 29  | 40+4 Supervisor    | 37.48    |
| 14         | नगर निगम मुरादाबाद      | 5  | 25  | 50+5 Supervisor    | 49.85    |
| 15         | नगर निगम अयोध्या        | 5  | 45  | 30+3 Supervisor    | 29.2     |
| 16         | नगर निगम मथुरा-वृन्दावन | 5  | 40  | 50+5 Supervisor    | 46.4     |
| 17         | नगर निगम शाहजहांपुर     | 4  | 40  | 20+2 Supervisor    | 19.9596  |
| कुल योग :- |                         | 85 | 659 | 788+79 Supervisors | 760.7096 |

इसी प्रकार नगर पालिका परिषद-सीतापुर, रायबरेली, जौनपुर एवं खुर्जा में अमृत 2.0 योजनान्तर्गत निर्मित FSTP का संचालन एवं रख-रखाव (O&M) SHGs Women के द्वारा कराये जाने हेतु प्रेषित Projects/ AMRUT 2.0 Collaboration Platform, GoI पर Upload किये गये हैं, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई है, विवरण निम्नवत है :-

| क्र. सं.   | नगर पालिका परिषद का नाम           | FSTP के संचालन एवं रख-रखाव (O&M) हेतु Projects की संख्या | Projects में Women SHG की कुल संख्या | कुल परियोजना लागत (₹ लाख में) |
|------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1          | नगर पालिका परिषद सीतापुर          | 1  | 4                                    | 8.5                           |
| 2          | नगर पालिका परिषद रायबरेली         | 1  | 4                                    | 8.5                           |
| 3          | नगर पालिका परिषद जौनपुर           | 1  | 4                                    | 8.5                           |
| 4          | नगर पालिका परिषद खुर्जा-बुलन्दशहर | 1  | 4                                    | 8.5                           |
| कुल योग :- |                                   | 4  | 16                                   | 34                            |

अतः "AMRUT Mitra" के अन्तर्गत Water Quality Testing एवं FSTP के संचालन एवं रख-रखाव (O&M) में Women SHGs की भागीदारी सुनिश्चित कराये जाने के लिये अमृत 2.0 एवं DAY-NULM के संयुक्त तत्वावधान में तैयार की गई पृथक-पृथक SOP को संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि SOP के अनुसार "AMRUT Mitra" के अन्तर्गत Women SHGs के द्वारा उपरोक्तानुसार 17 नगर निगमों में Water Quality Testing एवं 04 नगर पालिका परिषदों में FSTP का संचालन एवं रख-रखाव (O&M) सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

1/30/4/2024

(पी० के० श्रीवास्तव)

अपर मिशन निदेशक (अमृत)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- सचिव, नगर विकास अनुभाग-५, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय व नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ।

1/30/4/2024

(पी० के० श्रीवास्तव)

अपर मिशन निदेशक (अमृत)

## 5. Record-keeping protocols at FSTPs and co-treatment plants

प्रेषक,

राज्य मिशन निदेशक (अमृत),  
नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र व स्थानीय निकाय निदेशालय,  
चौथा तल, गोमती नगर विस्तार सेक्टर-7,  
लखनऊ ।

सेवा में,

नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक (जल),  
नगर निगम:— प्रयागराज, अलीगढ़,  
आगरा, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर,  
वाराणसी, सहारनपुर, गाजियाबाद,  
मुरादाबाद, मथुरा—वृन्दावन,  
फिरोजाबाद, मेरठ, झाँसी,  
शाहजहाँपुर एवं अयोध्या उ0प्र0।

अधिशासी अधिकारी/जलकल अभियन्ता,  
नगर पालिका परिषद:—शिकोहाबाद, मैनपुरी, फतेहपुर, फरुखाबाद,  
इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, हरदोई, लखीमपुर, उन्नाव, सीतापुर,  
देवरिया, जौनपुर, बदायूँ, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, शामली, मोदीनगर,  
लोनी, बड़ौत, खुर्जा, बुलन्दशहर, हायुड, चन्दौसी, रामपुर, सम्भल,  
अमरोहा, उरई, बांदा, ललितपुर, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़, बहराइच,  
अकबरपुर, गोण्डा, मिर्जापुर एवं बस्ती उ0प्र0।

पत्रांक: एसएमएमयू/ 1095 / 1073 / 2024

दिनांक: 17 मई, 2024

विषय: अमृत योजनान्तर्गत निर्मित FSTP and Co-Treatment Plants के संचालन एवं रख—रखाव (Operation & Maintenance) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि आपकी निकाय में अमृत योजनान्तर्गत FSTP and Co-Treatment Plants निर्मित हो चुके हैं, जिनमें से अधिकांश का हस्तान्तरण जल निगम के द्वारा नगरीय निकायों को किया जा चुका है। अतः नगरीय निकायों के द्वारा FSTP and Co-Treatment Plants का उपयोग पूर्ण क्षमता के साथ किया जाना अतिआवश्यक है, इसके लिये राज्य मिशन निदेशालय (अमृत) के स्तर से समय—समय पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाता रहा है। इस कार्य के लिये नगर विकास विभाग के Knowledge partner - Centre for Science & Environment (CSE) के द्वारा भी FSTP and Co-Treatment Plants के संचालन एवं रख—रखाव (O&M) हेतु समय—समय पर सम्बन्धित निकायों की handholding की गई है तथा इस सन्दर्भ में निदेशालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशालायें भी आयोजित की गई हैं।

FSTP and Co-Treatment Plants के संचालन एवं रख—रखाव (O&M) के प्रभावी अनुश्रवण (Monitoring) हेतु पृथक—पृथक दो प्रारूप (Format-1, Format-2 एवं Format-3) संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित किये जा रहे हैं कि Format-1 पर FSTP and Co-Treatment Plants पर desludging हेतु आने वाले ULB vehicles एवं Private Vehicles का दैनिक विवरण, Format-2 पर नगरीय निकायों में सेटिंग टैंक खाली कराये जाने हेतु भवन स्वामियों/नागरिकों से प्राप्त होने वाले अनुरोधों (Desludging Requests) का विवरण अंकित करना सुनिश्चित किया जाये तथा Format-3 पर FSTP and Co-Treatment Plants के संचालन एवं रख—रखाव (O&M) से सम्बन्धित मासिक विवरण प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में राज्य मिशन निदेशालय (अमृत) की ई—मेल—smmuup.amruti@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक :—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

17/5/24  
(पी0 के0 श्रीवास्तव)  
अपर मिशन निदेशक (अमृत)

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद—बिजनौर, चुनार एवं नगर पंचायत—बख्शी का तालाब।
- Centre for Science & Environment (CSE)

17/5/24  
(पी0 के0 श्रीवास्तव)  
अपर मिशन निदेशक (अमृत)

### **Format 1: Record maintenance at FSTP/Co-treatment Plant**

ULB Name :-

**Daily register for maintaining desludging vehicle records: For ULB vehicle**

| S No | Date | Address<br>(from where<br>the tank was<br>emptied) | Type of property:<br>Government/<br>Household/<br>Commercial | Vehicle<br>number | Vehicle capacity<br>in liters | Time In | Time Out | Sign of<br>desludger |
|------|------|--|--|-------------------|-------------------------------|---------|----------|----------------------|
|      |      |  |  |                   |                               |         |          |                      |
|      |      |  |  |                   |                               |         |          |                      |

**Daily register for maintaining desludging vehicle records: For PRIVATE vehicle**

| S No | Date | Address<br>(from where<br>the tank was<br>emptied) | Type of property:<br>Government/<br>Household/<br>Commercial | Vehicle<br>number | Vehicle capacity<br>in liters | Time In | Time Out | Sign of<br>desludger |
|------|------|--|--|-------------------|-------------------------------|---------|----------|----------------------|
|      |      |  |  |                   |                               |         |          |                      |
|      |      |  |  |                   |                               |         |          |                      |

### **Format 2: Desludging record maintenance at ULB level (for desludging request received)**

| S No | Date | Name and<br>address | Type of<br>property:<br>Government/<br>Household/<br>Commercial | Time of<br>booking | Actual<br>desludging<br>date | Desludging<br>fee | Vehicle capacity<br>in liters | No of trips | Sign of<br>official |
|------|------|---------------------|---|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|
|      |      |                     |   |                    |                              |                   |                               |             |                     |
|      |      |                     |   |                    |                              |                   |                               |             |                     |

### **Format 3: Monthly Report: FSTP/Co-Treatment Plant**

**ULB Name:** \_\_\_\_\_ **Plant capacity:** \_\_\_\_ KLD **FSTP/Co-Treatment(Mark ✓)**

| <b>Particulars</b>   | <b>Details</b>  |
|--|---|
| <b>Month and year</b>  |   |
| <b>Name of plant operator</b>  |   |
| <b>Details of desludging by private operator</b>                                   |   |
| Total number of trips  | Total quantity of septage emptied (in liters)   |
|  |   |
| <b>Details of desludging by ULB vehicle</b>  |   |
| Total number of trips  | Total quantity of septage emptied (in liters)   |
|  |   |
| <b>Any major repair or maintenance work at plant</b>                               |   |
| <b>No of days for which plant was closed</b>                                       |   |
| <b>Details of Re-use of water:</b>   |   |
| Treated water re-used for: _____   |   |
| Revenue generated, if any: _____   |   |
| <b>Details of Re-use of Bio-solids</b>   |   |
| Amount of sludge sold: _____ To whom/purpose: _____                                |   |
| Revenue generated, if any: _____ Reused for any other purpose: _____               |   |
| <b>Sign</b> _____<br><b>Name</b> _____<br><b>Name &amp; Sign of Plant Operator</b> | <b>Sign</b> _____<br><b>Name</b> _____<br><b>Name &amp; Sign of ULB Nodal Officer</b> |

## 6. Step-wise guidelines to the ULBs for FSSM implementation

### Important O&M of FSTPs/Co-Treatment Plants

प्रेषक,

राज्य मिशन निदेशक (अमृत एवं अमृत 2.0),  
नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र व स्थानीय निकाय निदेशालय,  
गोमती नगर विस्तार सेक्टर-7,  
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक (जल),  
नगर निगम:— प्रयागराज, अलीगढ़,  
आगरा, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर,  
वाराणसी, सहारनपुर, गाजियाबाद,  
मुरादाबाद, मेरठ, मथुरा—वृन्दावन,  
फिरोजाबाद, झाँसी, शाहजहाँपुर एवं  
अयोध्या उ0प्र0।

अधिशासी अधिकारी/जलकल अभियन्ता,  
नगर पालिका परिषद:—शिकोहाबाद, मैनपुरी, फतेहपुर, फर्लखाबाद,  
इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, हरदोई, लखीमपुर, उन्नाव, सीतापुर,  
देवरिया, जौनपुर, बदायूँ, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, शामली,  
मोदीनगर, लोनी, बड़ौत, खुर्जा, बुलन्दशहर, हापुड़, चन्दौसी,  
रामपुर, सम्भल, अमरोहा, उरई, बांदा, ललितपुर, मऊनाथ भंजन,  
आजमगढ़, बहराइच, अकबरपुर, गोण्डा, मिर्जापुर एवं बस्ती उ0प्र0।

पत्रांक: एसएमएमयू/१५१५ / 1073 / 2024

दिनांक: २१ जून, 2024

विषय — अमृत योजना तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत निर्मित FSTPs/Co-Treatment Plants का अधिकतम क्षमता के साथ संचालन एवं रख—रखाव (O&M) कराये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उक्त के सम्बन्ध में दिनांक 05 जून, 2024 को राज्य मिशन निदेशालय (अमृत एवं अमृत 2.0) के स्तर से (Virtual माध्यम से Zoom के द्वारा) आहूत की गई समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि आपकी निकाय में अमृत योजना अथवा अन्य योजना के अंतर्गत निर्मित FSTPs/Co-Treatment Plants के सुदृढ़ संचालन और रख—रखाव (O&M) हेतु सम्बन्धित सभी नगरीय निकायों को निम्नलिखित कार्य प्राथमिकता पर करने होंगे :—

#### • **FSTPs/Co-Treatment Plants का हस्तान्तरण (Handover of plant):**

अमृत योजनान्तर्गत निर्मित FSTPs/Co-Treatment Plants की sustainability के लिए कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) से हस्तान्तरण (handover) प्रक्रिया का शीघ्र पूर्ण होना आवश्यक है, परन्तु कुछ निकायों में अभी तक plant handover नहीं हो पाया है। जिन निकायों में यह प्रक्रिया नहीं हुई है वहाँ कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) से समन्वय स्थापित करके हस्तान्तरण (handover) की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर 10 जुलाई, 2024 तक सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही से राज्य मिशन निदेशालय को अवगत कराया जाये।

#### • **FSTPs/Co-Treatment Plants का संचालन एवं रखरखाव (O&M) :**

FSTPs/Co-Treatment Plants का संचालन और रखरखाव (O&M) किसके माध्यम से कराया जाना है, इसका निर्णय निकाय स्तर से ही किया जाना है। सामान्य तौर पर इसका संचालन निम्नलिखित माध्यमों से किया जा सकता है :—

1. FSTPs/Co-Treatment Plants का संचालन और रखरखाव (O&M) नगरीय निकाय स्वयं अपने Sanitation Staff के द्वारा करा सकता है, जिस पर आने वाला व्यय निकायों को अपने स्रोतों से वहन करना होगा।
2. FSTPs/Co-Treatment Plants का संचालन और रखरखाव (O&M) Contractor के माध्यम से (Contract Agreement के द्वारा) कराया जा सकता है, जिस पर आने वाला व्यय निकायों को अपने स्रोतों से वहन करना होगा। इस सन्दर्भ में नगरीय निकाय निदेशालय के पत्रांक-422/01/नगरीय प्रशिक्षण/2023 दिनांक 07 नवंबर, 2023 के द्वारा Model contract fo Operation and Maintenace (O&M) of FSTPs/Co-Treatment Plants and Desludging Vehicles प्रेषित किया जा चुका है।
3. भारत सरकार की अमृत मित्र योजनान्तर्गत SHG महिलाओं को प्रशिक्षण दे कर उनके द्वारा FSTPs/Co-Treatment Plants का संचालन और रखरखाव (O&M) कराया जा सकता है। इसके लिये इच्छुक निकायों को 01 सप्ताह के अन्दर proposal राज्य मिशन निदेशालय को भेजना होगा।

- **Registration of desludging operators :-**

शहरी क्षेत्र में सेप्टिक टैंकों को खाली करने (desludging) में Private desludging operators महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यद्यपि उनके संचालन पर नियंत्रण होना आवश्यक है, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि Private desludging operators सेप्टिक टैंकों से निकलने वाले फीकल स्लज़ / सेप्टेज को FSTPs/Co-Treatment Plants में ही डालें। इसलिए यह आवश्यक है कि निकाय में कार्यरत सभी desludging operators की समुचित पहचान एवं उनका पंजीकरण (registration) किया जाए। पंजीकरण के पश्चात निकाय क्षेत्र में सेप्टिक टैंक खाली करने के कार्य के लिए उन्हें license देना और treatment plant के बारे में जानकारी दिया जाये। इस सम्बन्ध में राज्य मिशन निदेशालय (अमृत) के द्वारा समय-समय पर आवश्यक formats भेजे गये हैं।

- **Finalizing desludging charges :**

सभी को एक समान service प्राप्त करने का अवसर मिले इसके लिए निकाय में सेप्टिक टैंक सफाई शुल्क (desludging charges) तय करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए निकाय को Private desludging operators के साथ विचार-विमर्श करके Desludging charges का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उससे FSTPs/Co-Treatment Plants का संचालन और रखरखाव (O&M) कराया जा सके तथा प्लाण्ट को लम्बी अवधि तक के लिये sustainable बनाया जा सके। Desludging charges के सम्बन्ध में राज्य मिशन निदेशालय (अमृत) के पत्रांक—एसएमएमयू/438/1073/2023 दिनांक 24 नवंबर, 2023 द्वारा दिशा—निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

- **City FSSM Bye-Laws :**

FSSM सेवा को सुदृढ़ करने के लिए राज्य मिशन निदेशालय (अमृत) एवं नगरीय निकाय निदेशालय के द्वारा Knowledge partner CSE के सहयोग से 'State Model FSSM Bye-Laws' का प्रारूप तैयार किया है। नगरीय निकाय निदेशालय के पत्रांक—423/01/ नगरीय प्रशिक्षण/2023 दिनांक 07 नवंबर, 2023 द्वारा सभी निकायों को Draft Model FSSM byelaws प्रेषित किया जा चुका है। सभी निकायों को City FSSM Bye-Laws तैयार करके gazette notification कराना होगा।

- **Implement scheduled institutional desludging :**

वर्तमान में FSTPs/Co-Treatment Plants, फीकल स्लज़ / सेप्टेज की आवश्यक मात्रा में अभाव के कारण सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं। अधिकतम क्षमता के साथ Plants के संचालन के लिए scheduled desludging plan बनाया जाए, जिसमें Residential buildings के साथ—साथ institutional buildings, CTs/PTs, Government housing colonies में स्थित सेप्टिक टैंकों से प्राथमिकता पर regular desludging (प्रत्येक 03 वर्ष के अन्तराल पर) करना सुनिश्चित किया जाए।

- **Monitoring and technical aspects of FSSM Activities :**

नगरीय निकाय के स्तर से यह सुनिश्चित किया जाये कि फीकल स्लज़ / सेप्टेज FSTPs/Co-Treatment Plants के अलावा किसी अन्य स्थान में ना डाला जाए। desludging एवं plant में आने वाले फीकल स्लज़ / सेप्टेज से संबंधित जानकारियों की record keeping एवं treatment plant का उचित संचालन और रखरखाव (O&M) आवश्यक है। राज्य मिशन निदेशालय (अमृत) के पत्रांक एसएमएमयू/1025/1073/2024 दिनांक 17 मई, 2024 record keeping से सम्बन्धित formats प्रेषित किये जा चुके हैं।

- **Regular awareness campaigns:**


Treatment plant पर नियमित अंतराल (प्रत्येक 03 वर्ष के अन्तराल पर) में अधिकतम sludge load पहुंचने एवं सेप्टिक टैंक को 03 वर्ष में खाली करने के लिए निकाय में नियमित रूप से जागरूकता अभियान का आयोजन करना चाहिए। FSSM IEC Awareness campaign से संबंधित सभी उपयुक्त material (<https://drive.google.com/drive/folders/1vKXGGoYtr3D33JqSc-Yv4A1LdDJCyE50>) पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त राज्य मिशन निदेशालय (अमृत) एवं नगरीय निकाय के बीच बेहतर सम्बन्ध के लिए निकाय FSSM कार्य से जुड़े अपने किसी एक भिज्ञ अधिकारी / कर्मी को Nodal नामित करते हुये उसका नाम, पदनाम एवं मोबाइल / Whatsapp Number उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

यह भी अवगत कराना है की FSSM से सम्बन्धित गतिविधियों में Centre for Science and Environment (CSE) सभी निकायों को handholding support प्रदान करेगा। इसके लिए CSE के प्रतिनिधि सभी निकायों में पूरे वर्ष multiple visits करेंगे, जिसका विवरण संलग्न है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


 23/6/24

(पी के श्रीवास्तव)

अपर मिशन निदेशक (अमृत)

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
3. विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
5. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद-बिजनौर, चुनार एवं नगर पंचायत-बरखी का तालाब (लखनऊ)।
6. Centre for Science & Environment (CSE)।

 23/6/24

(पी0 के0 श्रीवास्तव)

अपर मिशन निदेशक (अमृत)

## 7. IEC implementation at city level

भारा  
प्र००७०५

प्रेषक,

राज्य मिशन निदेशक (अमृत एवं अमृत 2.0),  
अमृत मिशन निदेशालय, उ०प्र०,  
नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र व रथानीय निकाय निदेशालय,  
गोमती नगर विस्तार, सेक्टर-७, लखनऊ।

सेवा में,

1. नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक (जल), नगर निगम:— इलाहाबाद, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, उ०प्र०। (FSTP एवं Co-Treatment Plant से सम्बन्धित)।
2. अधिशासी अधिकारी/जलकल अभियन्ता, नगर पालिका परिषद:— शिकोहाबाद, हाथरस, मैनपुरी, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, हरदोई, लखीमपुर, उन्नाव, सीतापुर, देवरिया, जौनपुर, बदायूँ, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, शामली, मोदीनगर, लोनी, बड़ौत, खुर्जा, बुलन्दशहर, हापुड़, चन्दौसी, रामपुर, अमरोहा, उरई, बांदा, ललितपुर, आजमगढ़, बहराइच, अकबरपुर, गोण्डा, मिर्जापुर, बस्ती, बिजनौर, चुनार उ०प्र०। (FSTP एवं Co-Treatment Plant से सम्बन्धित निकाय)।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत—बख्शी का तालाब (लखनऊ)।

पत्रांक: एसएमएमयू/1638 / 1135 / 2024

दिनांक: 14 अगस्त, 2024

विषय: Faecal Sludge & Septage Management (FSSM) से सम्बन्धित IEC Activities हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार के द्वारा IEC मद में अवमुक्त धनराशि सम्बन्धित नगरीय निकायों को Transfer किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि शासनादेश सं०-४०२(१) / २०२४ / नौ-५-२०२४ / ००१-१८०१८४८ द्वारा IEC मद की धनराशि ₹163.00 लाख (₹ एक करोड़ तिरसठ लाख) अवमुक्त की गई है तथा अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति की दिनांक 25.06.2024 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त पत्रांक-3159 / नौ-५-२०२४ / २६सा / २०२२-कम्प्यूटर सं० 1355662 दिनांक 01.07.2024 (प्रति संलग्न) के बिन्दु सं० (9) पर FSTP & Co-treatment plants हेतु उक्त IEC की धनराशि से 56 निकायों को कुल ₹1.105 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने की स्थीरति प्रदान की गई है।

उक्त के क्रम में सूच्य है कि अमृत योजना के अन्तर्गत 01 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय निकायों में FSTP एवं Co-treatment plants निर्मित हो चुके हैं, जिनमें से 48 Plants को संचालन हेतु जल निगम द्वारा सम्बन्धित नगरीय निकायों को हस्तान्तरित (Handover) किया जा चुका है तथा शेष के हस्तान्तरण की प्रक्रिया प्रगतिशील है।

उल्लेखनीय है कि जिन नगरीय निकायों में सीधे नेटवर्क नहीं है अथवा सीधे का आंशिक नेटवर्क है, वहाँ अमृत योजनान्तर्गत निर्मित किये गये FSTP तथा Co-treatment plants आवासीय एवं अनावासीय भवनों में शौचालय के साथ बने सेटिक टैंकों में एकत्रित होने वाले Faecal Sludge & Septage के सुरक्षित निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः नगरीय निकायों में निर्मित किये गये FSTPs तथा Co-treatment plants का प्रभावी रूप से संचालन अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में राज्य मिशन निदेशालय के स्तर से पूर्व में अनेकों पत्र निर्गत किये गये हैं तथा Centre for Science & Environment (CSE) के सहयोग से कार्यशालायें आयोजित करायी गयी हैं। विदित है कि अभी भी अनेक नगरीय निकायों में FSTP तथा Co-treatment plants का पूरी क्षमता के साथ संचालन नहीं हो पा रहा है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में Faecal Sludge & Septage के collection, Transportation and disposal तथा FSTP & Co-treatment plants के प्रभावी एवं पूर्ण क्षमता के साथ संचालन हेतु IEC activities कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस निर्मित आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार के द्वारा IEC Activities हेतु अवमुक्त की गई धनराशि सम्बन्धित नगरीय निकायों को संलग्न सूची/विवरण के अनुसार इस आशय के साथ अन्तरित की जा रही है कि Faecal Sludge & Septage के collection, Transportation and disposal तथा FSTP & Co-treatment plants के प्रभावी एवं पूर्ण क्षमता के साथ संचालन हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देशों एवं स्थानीय आवश्यकतानुसार IEC Activities कराना सुनिश्चित करें:—

| क्र० | FSSM से सम्बन्धित नगरीय निकायों में प्रस्तावित IEC गतिविधियाँ   |
|------|---|
| 1    | FSTP एवं Co-treatment plants के संचालन एवं रख-रखाव से सम्बन्धित समर्त स्टेक होल्डर्स (Stakeholders) की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित कराया जाना।   |
| 2    | नगरीय निकाय के निर्वाचित पार्षदों, जलकल, Sanitation कार्मिकों Community Leaders, SHG Members, Resident Welfare Society (RWS) के पदाधिकारियों/सदस्यों, छात्रों इत्यादि को FSTP/Co-treatment plant का Exposure Visit कराना तथा इसके महत्व एवं उपयोगिता के बारे में लोगों को अवगत कराना।   |
| 3    | FSTP/Co-treatment plant परिसर, नगर निकाय मुख्य कार्यालय, नगर के प्रमुख चौराहों/बाजारों एवं अधिक Foot fall वाले स्थानों पर FSTP/Co-treatment plant से सम्बन्धित विज्ञापन पट (Hoardings) इस प्रकार लगाया जाना ताकि अधिक से अधिक लोग इसके महत्व के बारे में जागरूक (Aware) हो सकें।  |
| 4    | नगर के उपयुक्त स्थानों पर FSTP/Co-treatment plant से सम्बन्धित Wall Paintings नियमानुसार कराया जाना।  |
| 5    | सेप्टिक टैंकों को प्रत्येक 03 वर्ष के निश्चित अन्तराल पर खाली कराये जाने हेतु अधिकतम प्रचार-प्रसार वाले स्थानीय समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित कराया जाना।  |
| 6    | प्राइवेट टैंकर (Cesspool) आपरेटर्स के लिये अधिकतम प्रचार-प्रसार वाले स्थानीय समाचार पत्रों में इस आशय का नोटिस प्रकाशित कराया जाना कि वह सेप्टिक टैंकों से निकाले गये Faecal Sludge & Septage को केवल FSTP/Co-treatment plants में ही डालें। Faecal Sludge & Septage को नाले-नालियों/Water Bodies अथवा किसी Open Land पर डालने की दशा में उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।                |
| 7    | Cesspool Branding – Desludging Vehicles (Tankers) पर Slogan Writing के साथ सेप्टिक टैंक को खाली कराने हेतु नगरीय निकाय/ Desludging Vehicle Operator के मोबाइल नम्बर अंकित किया जाना।  |
| 8    | Faecal Sludge and Septage Management (FSSM) से सम्बन्धित activities से सम्बन्धित Sanitation Workers, Desludging Vehicle Operator/Stake holders के द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों/SOP का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाये। FSSM के अन्तर्गत किये जाने वाले अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिये नगरीय निकायों में FSSM Award Ceremony आयोजित करके उन्हें प्रशंसा पत्र एवं नकद पुरस्कार दिया जाना। |
| 9    | FSSM से सम्बन्धित अन्य IEC activities जिन्हें नगरीय निकाय के द्वारा कराया जाना आवश्यक समझा जाये।  |

FSSM से सम्बन्धित IEC activities कराये जाने हेतु Centre for Science & Environment (CSE) से सहायता ली जा सकती है।

अवगत कराना है कि अमृत योजनान्तर्गत 52 नगरीय निकायों जिनमें FSTP एवं Co-treatment plants निर्मित हो चुके हैं एवं नमामि गंगे (NMCG) तथा निकाय निधि से नगर पालिका परिषद बिजनौर, चुनार तथा नगर पंचायत बरखी का तालाब (लखनऊ) में भी FSTP निर्मित किये गये हैं, जो सम्बन्धित नगरीय निकाय द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। उपरोक्त के क्रम में पंजाब नेशल बैंक, हजरतगंज में State Mission Director (AMRUT 2.0 A&OE) के पद नाम से खुले खाता संख्या- 0294000110131053 IFSC- PUNB0029400 से 55 नगरीय निकायों में कुल ₹ 1.085 करोड़ FSSM से सम्बन्धित IEC activities कराये जाने हेतु transfer किया जाना प्रस्तावित है।

52 अमृत निकाय – ₹ 2,00,000/- प्रति निकाय (कुल ₹ 1.04 करोड़)

03 अन्य नगरीय निकाय – ₹ 1,50,000/- प्रति निकाय (कुल ₹ 0.045 करोड़)

कुल ₹ 0 1.085 करोड़

FSSM से सम्बन्धित IEC activities हेतु उपरोक्तानुसार धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ transfer किया जा रहा है कि सम्बन्धित नगरीय निकायों के द्वारा अनिवार्य रूप से इस धनराशि का निर्धारित मानकों/सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत व्यय सुनिश्चित करते हुए अधिकतम 03 माह में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाये।

उक्त धनराशि का राज्य मिशन निदेशक (अमृत 2.0), नगरीय निकाय निदेशालय उ0प्र0 के नोडल खाते (A&OE) से हस्तान्तरण पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

संलग्नक :- बैंक खाते का विवरण।

भवदीय,  
**A.K.Shukla.**  
 (अजय कुमार शुक्ला)  
 राज्य मिशन निदेशक (अमृत एवं अमृत 2.0)

### प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. पर्यावरण अभियन्ता, सम्बन्धित नगर निगम उ0प्र0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज को इस आशय से प्रेषित कि संलग्न सूची के अनुसार धनराशि अंतरित कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. श्री सुब्रोतो चक्रवर्ती, CSE



(अर्जित सिंह)  
सहायक निदेशक (लेखा)

## 8. Improving treatment plant utilization through scheduled institutional desludging

FSTP/Co-Treatment Plants का संचालन

प्रेषक,

राज्य मिशन निदेशक (अमृत एवं अमृत 2.0)

अमृत मिशन निदेशालय, उ0प्र0

नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र व स्थानीय निकाय निदेशालय,

गोमती नगर विस्तार, सेक्टर-7, लखनऊ।

सेवा में

नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक (जल),  
नगर निगम:- इलाहाबाद, अलीगढ़,  
आगरा, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर,  
वाराणसी, सहारनपुर, मथुरा,  
गाजियाबाद, मुरादाबाद, फिरोजाबाद,  
मेरठ, झौंसी, शाहजहाँपुर एवं  
अयोध्या उ0प्र0। (FSTP एवं Co-  
Treatment Plant से सम्बन्धित)।

अधिशासी अधिकारी/जलकल अभियन्ता,  
नगर पालिका परिषदः-शिकोहाबाद, हाथरस, मैनपुरी, फतेहपुर,  
फरुखाबाद, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, हरदोई, लखीमपुर,  
उन्नाव, सीतापुर, देवरिया, जौनपुर, बदायूँ, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर,  
शामली, मोदीनगर, लोनी, बडौत, खुर्जा, बुलन्दशहर, हापुड, चन्दौसी,  
रामपुर, अमरोहा, उरई, बांदा, ललितपुर, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़,  
बहराइच, अकबरपुर, गोण्डा, मिर्जापुर, बस्ती उ0प्र0।  
(FSTP एवं Co-Treatment Plant से सम्बन्धित अमृत निकाय)।

पत्रांक: एसएमएमयू/ 1905 / 1073/2024

दिनांक: 13 सितम्बर, 2024

विषय: अमृत निकायों में निर्मित FSTP/Co-Treatment Plants के प्रभावी संचालन हेतु डिस्ट्रिंग पोर्टेशियल  
(Desludging potential) आंकने और Scheduled institutional desludging plan (सुनियोजित संस्थागत सेटिक  
टैंक सफाई) क्रियान्वयन करने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश।

महोदय,

उक्त विषय से सम्बन्धित आपके निकाय में अमृत तथा अन्य योजना के अंतर्गत FSTP/Co-Treatment Plants  
का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसके संचालन और रखरखाव का दायित्व हस्तांतरण के पश्चात् नगरीय निकाय  
का है। इन Treatment Plants (संयंत्रों) को उनकी अधिकतम क्षमता पर चलाने हेतु पर्याप्त स्लज सुनिश्चित करना  
निकाय के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

इस सन्दर्भ में निकाय को Desludging potential आंकना और Scheduled institutional desludging plan  
बना कर क्रियान्वित करना है। (प्रारूप – संलग्नक 1)

Desludging potential – निकाय के सेटिक टैंक से निकले स्लज की प्रतिदिन मात्रा (Sludge volume) का  
आंकलन है, जिसके आधार पर यह पता चलेगा कि संयंत्र अधिकतम कितनी क्षमता पर संचालित हो सकता है।  
Desludging potential के आधार पर एक Desludging plan बनेगा, जिसके अंतर्गत आवासीय व व्यावसायिक भवन  
मौजूदा demand based desludging practice पर आधारित रहेंगे तथा जबकि निकाय में स्थित समस्त सामुदायिक  
शौचालयों (Community Toilets) व सार्वजनिक शौचालयों (Public Toilets) सहित सरकारी भवनों की Desludging  
पहल स्वरूप एक Schedule/plan के आधार पर होगी जिसे Scheduled institutional desludging का नाम दिया  
गया है।

निकायों में Desludging potential और Scheduled institutional desludging plan को बनाने और  
क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी हेतु दिशा निर्देश इस आशय के साथ प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया आपके  
निकाय में अमृत तथा अन्य योजना के अंतर्गत निर्मित FSTP/Co-Treatment Plants का पूर्ण क्षमता के साथ प्रभावी  
संचालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक –

1. Desludging potential और Scheduled institutional desludging plan प्रारूप
2. Desludging potential और Scheduled institutional desludging plan बनाने और क्रियान्वयन  
हेतु दिशा निर्देश

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

१३११/२५

(पी0 के0 श्रीवास्तव)  
अपर मिशन निदेशक (अमृत)

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
6. पर्यावरण अभियन्ता, सम्बन्धित नगर निगम उ0प्र0।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद – विजनौर एवं चुनार।
8. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, बक्शी का तालाब (जनपद-लखनऊ)।
9. श्री सुब्रातो चक्रवर्ती, CSE

१३१२५  
(पी० के० श्रीवास्तव)  
अपर मिशन निदेशक (अमृत)

<https://www.cseindia.org/guidelines-for-improving-treatment-plant-utilization-12557>



## 9. Standard Operating Procedures for O&M of FSTPs and co-treatment plants

प्रेषक,

निदेशक,  
नगर निकाय, उ०प्र०,  
सेक्टर-७, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ।

सेवा में,

1. नगर आयुक्त,  
नगर निगम— प्रयागराज, आगरा, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, सहारनपुर, गाजियाबाद, मथुरा—वृन्दावन, फिरोजाबाद, मेरठ, शाहजहांपुर, झौंसी, अलीगढ़, एवं अयोध्या, उ०प्र०।
2. अधिकारी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत— शिकोहाबाद, हाथरस, मैनपुरी, फतेहपुर, फरुखाबाद, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, हरदोई, लखीमपुर, उन्नाव, सीतापुर, देवरिया, जौनपुर, बदायूँ, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, शामली, मोदीनगर, लोनी, बड़ौत, खुर्जा, बुलन्दशहर, हापुड़, चन्दौसी, रामपुर, उरई, बांदा, ललितपुर, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़, बहराइच, अकबरपुर, गोण्डा, मिर्जापुर, बस्ती, बिजनौर, चुनार, बक्शी का तालाब, उ०प्र०।

पत्रांक— १५५१/१५३१/ जी/प्र०

लखनऊ:दिनांक ३० जनवरी, २०२५

विषय— उत्तर प्रदेश की निकायों में FSTPs/Co-treatment plants के संचालन/रखरखाव (O&M) हेतु Standard Operating Procedure (SOP) तैयार किये जाने के संबंध में।  
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से प्रदेश की निकायों में FSTPs/Co-treatment plants के संचालन/रखरखाव (O&M) हेतु Standard Operating Procedure (SOP) तैयार किये गये हैं जिनके संचालन हेतु जल निगम द्वारा संबंधित नगरीय निकायों को हस्तांतरित (Handover) पूर्व में ही किया जा चुका है। उक्त के क्रम में FSTPs/Co-treatment plants के समुचित संचालन/रखरखाव (O&M) किया जाना है। इस परिप्रेक्ष्य में निकाय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए Centre for Science and Environment (CSE) का सहयोग प्राप्त करते हुए "SOP" for Operations and Maintenance (O&M) of FSTPs and Co-treatment Plants of Uttar Pradesh" संलग्न करते हुए इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि Standard Operating Procedure (SOP) में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन FSTPs/Co-treatment plants का समुचित संचालन रखरखाव (O&M) किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-SOP for Operations and Maintenance (O&M) of FSTPs and Co-treatment Plants in Uttar Pradesh

भवदाय,  
(अनुज कुमार झा)  
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1—प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2—राज्य मिशन निदेशक (अमृत), राज्य मिशन निदेशालय उ०प्र०, लखनऊ।
- 3—प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 4—सीनियर प्रोग्राम मैनेजर, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, (सी०एस०ई०), लखनऊ।
- 5—गार्ड फाइल।

(अनुज कुमार झा)  
निदेशक

<https://www.cseindia.org/sop-for-operations-and-maintenance-of-fstps-and-co-treatment-plants-in-uttar-pradesh-12533>







